

80

समक्ष:- श्रीमान् बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्वालियर केम्प कोर्ट, भोपाल

अपील-6194/2018/बैतूल/भू-रक्ष

अपील प्र. क्र. / 18

1. हरि सिंह
आयु लगभग - 77 वर्ष
आत्मज श्री तेजी लाल रघुवंशी
2. नत्थू सिंह
आयु लगभग - 75 वर्ष
आत्मज श्री तेजी लाल रघुवंशी
3. कल्लु सिंह
आयु लगभग - 68 वर्ष
आत्मज श्री तेजी लाल रघुवंशी
4. छोटे सिंह
आयु लगभग - 64 वर्ष
आत्मज श्री तेजी लाल रघुवंशी
5. जियालाल
आयु लगभग - 68 वर्ष
आत्मज मुन्नालाल रघुवंशी

सभी निवासी- ग्राम मोरखा, तहसील
आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1. देवकी बाई
आयु लगभग 76 वर्ष
पत्नि- स्व. श्री मुटूरू
2. कैलाश,
आयु- आयु लगभग 45 वर्ष
आत्मज- स्व. श्री मुटूरू
3. संतोष
आयु लगभग 42 वर्ष
आत्मज- स्व. श्री मुटूरू
4. राजेश
आयु लगभग 39 वर्ष
आत्मज- स्व. श्री मुटूरू



लाइव/दाय/1
25-10-18
प्रा. 25-10

अपीलार्थी
श्री छोटे सिंह s/o
श्री तेजीलाल निवासी-
ग्राम-मोरखा तहसील
आमला, जिला-बैतूल
द्वारा प्रस्तुत।

06/10/18
A.C.

Handwritten signature and notes at the bottom left.

Handwritten signature at the bottom right.

5. राम बाई
आयु लगभग 52 वर्ष
आत्मजा - स्व. श्री मुटूरू

6. मुलिया बाई
आयु लगभग 48 वर्ष
आत्मजा- आत्मज- स्व. श्री मुटूरू

सभी निवासी- ग्राम मोरखा
तहसील आमला
जिला बैतूल (म.प्र.)

प्रतिअपीलार्थीगण

अपील अंतर्गत धारा 44(2) म.प्र. भूरा.संहिता

अपीलार्थीगण अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्रमांक 319/अपील/वर्ष 2016-17 (देवकी बाई व अन्य विरुद्ध हरी सिंह व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 16.08.2018 से दुःखी एवं व्यथित होकर अपीलार्थीगण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर अपील प्रस्तुत कर रहे हैं।

अपील के तथ्य संक्षेप में

- यह कि अपीलार्थीगण एवं प्रति अपीलार्थीगण एक ही वंश वृक्ष के सदस्य है वंशवृक्ष निम्नानुसार है, यह विवरण अपील प्रकरण के निराकरण में सहायक है।

होरी लाल



तेजी लाल	मुन्ना लाल	गणेश प्रसाद	सूका	मुटूरू
1 हरी सिंह	1 जियालाल	1 जुगल किशोर	निसंतान मृत	1 कैलाश
2 नत्थू	2 अमरू	2 राम किशोर		2 सुभाष
3 कल्लू	3 अमरू	3 हिम्मत		3 राजेश
4 छोटै	4 अमोनी	4 छोटी		4 रामबाई
5 गुजरी		5 छोटक बाई		5 मुलिया
		6 मुटु		
		7 कृष्णा		
		8 कृष्ण		



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक निगरानी 6194/2018/बैतूल/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26-11-18	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री सुधीर दुबे अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत अपील में पारित आदेश के विरुद्ध अब पुनरीक्षण का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p> श्री 32</p> <p> अध्यक्ष</p>